CNR No. UPME010091752026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ

पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार –I, (एच०जे०एस०) J.O. Code UP–6395

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–3254/2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2631/2026

विकास उर्फ तातड़ उर्फ छोटू पुत्र ब्रहमजीत, निवासी जबैरीपुरा, ट्रान्सपोर्टनगर, जिला मेरठ।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **..... अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–743/2025

अन्तर्गत धारा–109(1), 3(5) बी०एन०एस०

थाना–टी०पी० नगर, जिला मेरठ।

दिनांक 03.07.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त विकास उर्फ तातड़ उर्फ छोटू पुत्र ब्रहमजीत के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–743/2025, अन्तर्गत धारा–109(1), 3(5) बी०एन०एस०, थाना– टी०पी० नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ पैरोकार के रूप में श्रीमती कुसुम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2025 को उ0नि0 सतीश कुमार मय उ0नि0 प्रदीप चाहर, मय हमराहीगण के थाने से बहवाले रपट संख्या 78 समय 21.45 बजे वास्ते देखरेख शान्ति व्यवस्था, चैंकिग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति व तलाश वाछिंत अपराधी रोकथाम जुर्म जरायम रवाना होकर अन्दर चौकी क्षेत्र टी०पी० नगर मे मामूर होकर जगन्नाथपुरी कट पर चैकिंग कर रहे थे कि कुछ समय पश्चात दो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर शेखो पट्रोल पम्प की तरफ से आते हुए दिखाई दिये जिनमे से एक व्यक्ति के हाथ मे एल0ई0डी0 थी नजदीक आने पर टोकते हुए रूकने का इशारा किया तो दोनो व्यक्ति पीछे मुडकर तेज कदमो से चलने लगे। शक बदमाश होने पर पुलिस वालो ने इन दोनो व्यक्तियो का पीछा किया ओर आवाज देकर रूकने को कहा तो दोनो व्यक्ति दौड़ते हुए रामलीला ग्राउण्ड की तरफ जाने लगे। उ0नि0 द्वारा जरिये आर टी सैट थाना कार्यालय को अवगत कराया गया और उ0नि0 प्रदीप चाहर व है0का0 11 अंकुर मलिक, का0 1168 राजकुमार को रामलीला ग्राउण्ड के दुसरे गेट की ओर बदमाशो को घरने हेतु भेजा गया व इनके द्वारा मय का0 709 अमित चौहान व का0 1383 कपिल वर्मा के साथ बदमाशो का लगातार पीछा किया गया। बदमाशो को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। बदमाशो ने अपने आप को दोनो तरफ से घिरता देख कहा की गोली मारो सालो को तथा रामलीला ग्राउण्ड मे बने मंच की आड लेकर उनमे से एक बदमाश ने इन पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। आत्मरक्षार्थ करते हुये पुलिस वाले फायर करने वाले बदमाश के पैरो की तरफ निशाना लगाते हुए अपनी सरकारी पिस्टल से एक राउंड फायर किया गया तो वह बदमाश चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया गोली लग गयी चिल्लाने लगा। पुलिस वालो ने उस व्यक्ति के पास जाकर टार्च व मोबाईल की रोशनी मे देखा तो उसके दाहिने पैर में घुटने से नीचे पिंडली से खून रिस रहा था

जिसमें गोली लगी थी, उसके दाहिने हाथ मे 315 बोर का तमंचा है और दर्द से कराह रहा है तथा आत्मसमर्पण की स्थिति में है। बिना देरी किये सावधानी पूर्वक बदमाश के दाहिने हाथ से तमंचा 315 बोर कब्जा पुलिस मे लिया गया उसके दाहिने पैर मे घुटने से नीचे पिण्डली से खून बह रहा था। मानवता को ध्यान में रखते हुये बदमाश के पैर में रिसते हुये खून को रोकने के लिये सरकारी गाड़ी से कपडा निकालकर कपड़े की पट्टी बांधी गई। तब तक अंधेरे का लाभ उठाकर दूसरा बदमाश मौके से भाग गया जिसके पीछे उ0नि0 प्रदीप चाहर व है0का0 11 अंकुर मलिक, का0 1168 राजकुमार को भेजा गया। घायल बदमाश नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम हिमांशु थापा पुत्र पुरन बहादुर थापा, निवासी ग्राम कुण्डा रेलवे लाईन के निकट किराये के मकान में थाना परतापुर मेरठ बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने जीन्स की बायी जेब से 6560 रूपये 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। कारतूस की पेंदी पर 8 MM KF बरामद हुए तथा दाहिने हाथ से बरामद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल की लम्बाई 07 अंगुल बट 04 अंगुल व 06 अंगुल लोहे की बाडी है तथा कुल लम्बाई 01 बालिस्त जिसके उपर की तरफ एक हैमर लगा है तथा नीचे एक ट्रिगर लगा है तथा बट पर लडकी की चाप लगी है जिसमे दोनों ओर लोहे की रिपिट लगी है। नाल खोलकर देखा गया तो तमंचा चालू हालत में है जिसमें एक खोका कारतूस फंसा है जिसकी पीछे पेन्दी पर फायर पिन की चोट लगी है जिसकी पेन्दी पर 8MM KF लिखा है। तमंचे की नाल को सूंघा व हमराही पुलिस बल को सुंघाया गया तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही है। बरामदशुदा तमंचा व कारतूस का लाईसैन्स दिखाने को कहा तो दिखाने मे कासिर रहा। तथा माथे व नाक पर लगी चोट के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि जब हम लोग यश ट्रांस्पोर्ट में चोरी कर रहे थे तो फिसलकर गिर कर चोट लग गयी थी। बरामदा रूपयो के सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो बताया गया कि साहब मैने व मेरे साथी विकास जो अभी भागा है, ने यश ट्रांसपोर्ट, नारंग स्टील व साकेत चौराहे के पास कमीश्नर कोठी के सामने मन्दिर से चोरी की थी ये रूपये उन्ही चोरियो के है जिनमे से 3960 रूपये यश ट्रांसपोर्ट से, 1600 रूपये नारंग स्टील से, 1000 रूपये मन्दिर की चोरी के है। जिनमे से मैने अपने हिस्से के रूपये मे से बाकि रूपये खर्च कर दिये है। ये रूपये उन्ही चोरियो के रूपयो से बचे है। कुछ समय पश्चात भागे हुए बदमाश को पकड कर उ0नि0 प्रदीप चाहर मय हमराही के द्वारा पकडकर मौके पर लाया गया जिससे नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम विकास उर्फ तातंड उर्फ छोटू पुत्र ब्रहमजीत निवासी बेरीपुरा, थाना टी०पी० नगर मेरठ बताया जिसकी जामा तलाशी से पहनी हुए पैंट की बायी जेब से 5455 रूपये व एक एल0ई0डी0 जिस पर SKY0 लिखा है व एक थैला बरामद हुआ जो एक तरफ से काला व एक तरफ से लाल है बरामदा थैले मे कुछ पेन, कुछ नोटपैड, कुछ पोलीथीन मे पाउडरनुमा पदार्थ भरा है। बरामद रूपये के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम दोनो ने मिलकर जो चोरिया की थी उन्ही चोरियो के रूपयो मे जो रूपये मेरे हिस्से मे आये थे ये रूपये उन्ही चोरियो के है। इन रूपयो मे से 3000 रूपये यश ट्रांसपोर्ट से, 1455 रूपये नारंग स्टील से व 1000 रूपये मन्दिर से चोरी के है। बाकि रूपये खर्च हो गये है। बरामदा एल0ई0डी0 व थैले के बारे मे पूछा गया तो बताया कि ये एल0ई0डी0 व थैला ये दोनो ने यश ट्रांसपोर्ट से चोरी किये थे। ये लोग चोरी करते समय वहाँ पर सीसीटीवी डीवीआर को उखाकर साथ ले जाते है और रास्ते में जंगल झाँडियों में फेंक देते है। पकडे गये दोनो व्यक्तियो से कडाई व हिकमत अमली से पूछताछ की गयी तो पकडे गये दोनो व्यक्तियो ने बताया की साहब हमने लगभग चार पांच दिन पहले बागपत रोड से लोहे की दुकान से चोरी की थी जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 732/25 धारा 331 (4)/305/324(4) बीएनएस से पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रदीप चाहर द्वारा कि जा रही है। ओर अधिक शख्ती से पूछताछ करने पर पकडे गये दोनो व्यक्तियो ने बताया कि हम दोनो ने कल रात मे साकेत चौराहे के पास के दो मन्दिरो से चोरी की थी जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा से थाना सिविल लाईन के कार्यालय का सीयूजी न० लेकर जानकारी की तो उक्त चोरी के सम्बन्ध मे थाना सिविल लाईन पर मु0अ0स0

341/25 धारा 305(ए) बीएनएस मे पंजीकृत है। उ0नि0 द्वारा पुलिस बल की सहायता से जमीन पर पडे अभियुक्त हिमांशु थापा उपरोक्त व विकास उर्फ तातंड को उनके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए दिनांक 23.12.2025 समय 01.30 बजे अभि0गण को हिरासत पुलिस मे लिये गये। उक्त फर्द के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत इस जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उपरोक्त मुकदमे में फर्जी रूप से आरोपित कर दिनाँक 23.12.2025 को जेल भेजा गया है, तबसे ही प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त निरपराध है प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में झूठा फँसाया गया हैं। अभियोजन की कहानी पूर्णतया झूठे, फर्जी एवं निराधार तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित अपराध में किसी प्रकार संलिप्त नहीं रहा है। पुलिस द्वारा गुड वर्क दिखाने के लिये फर्जी पुलिस मुठभेड़ दर्शाई गयी है। आरोपित घटना में किसी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट नहीं आयी है। अभियोजन द्वारा कथित घटना का कोई निष्पक्ष साक्षी नही दर्शाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कथित घटना से संबंधित में कोई वस्तु नाजायज़ बरामद नही हुई है। प्रार्थी / अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध का कोई आरोप नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पैरोकार नही है। जिला कारागार मेरठ से प्रार्थी/अभियुक्त के वाद में पैरवी द्वारा सरकारी वकील करने हेतु प्रार्थना पत्र भेजा गया, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पैरवी की जा रही है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी के आधार पर दर्ज कराई गई है। मामला पुलिस मुठभेंड़ से सम्बंधित है। आवेदक/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नही किया गया है। मौके से गिरफ्तार सह–अभियुक्त हिमांशु थापा के द्वारा दिये गये बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त नाम इस मामले में प्रकाश में आया है। कथित मुठभेड़ में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट आना नही बताई गई है। मामले में आरोप पत्र प्राप्त हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त को विगत 5 माह 25 दिन से जिला कारागार मेरठ में निरुद्ध होना कहा गया है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास होना कहा गया है किन्तु उसे किसी मामलें में दोषसिद्ध होना नही बताया गया है। अभियुक्त के पूर्व में आपराधिक इतिहास के आधार पर ही जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का कोई तर्कसंगत आधार नही है।

अतः उपरोक्त मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा बिना गुण–दोष पर विचार किए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विकास उर्फ तातड़ उर्फ छोटू पुत्र ब्रहमजीत की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–743/2025, अन्तर्गत धारा– 109(1), 3(5) बी०एन०एस०, थाना–टी०पी० नगर, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अंकन 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू माननीय न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है।

1) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को ना तो डरायेगा व घमकायेगा और ना ही गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव डालेगा।

2) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त विवेचना में विवेचक द्वारा सहयोग करेगा। पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3) आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

4) इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 03.07.2026

(अजय कुमार –I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.07.03 17:27:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Meerut